






XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर.1198/94

जिला-भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-7-15	<p>इस प्रकरण में कई बार सूचना देने के बाद भी आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है ।</p> <p>प्रकरण आदेशार्थ ।</p>	 सदस्य
4-8-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरान्त प्रकरण आवेदक की रूचि के अभाव में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य



150

न्यायालय माननीय
प्रकरण क्रमांक

राजस्व मंडल 40 प्रो ग्वालियर
/94 निगरानी

RN/WI/R/1198/94

गौरीशंकर पुत्र मधुरा प्रसाद निवासी
खेरिया बाग उर्फ रायपुरा परगना मेहगांव
जिला भिण्ड प्रार्थी

क्रमांक
श्री अरवि शंकर शर्मा
द्वारा आदि दिनांक 94
को प्रस्तुत
बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

ब ना म

कैलाश नारायण पुत्र रामनारायण
निवासी मेहगांव जिला भिण्ड ... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.ओ 1959 विरुद्ध आदेश श्रीमान अपर आयुक्त डी.एस. चौहान चम्बल संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/91-92 अील में दिनांक 31/8/94 को पारित किया जो अनुचिभागीय अधिकारी मेहगांव जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 68/89-90 अ.माल में पारित आदेश दिनांक 13/9/91 के विरुद्ध पेश हुई थी जो नायब तहसीलदार धुत्त मेहगांव प्रकरण क्रमांक 19/84-85 अ-6 में दिनांक 24/4/90 के विरुद्ध थी ।

श्रीमानजी,

निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1- यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रति-प्रार्थी कैलाशनारायण से उसके भूमि स्वामित्व व आधिपत्य के सर्वे क्रमांक 1690, 1694, 1637 व 2521 में से रकबा 1 बीघा 1 विस्था भूमि पूर्ण प्रतिफल देकर दिनांक 18/11/69 को क्रय किया । प्रार्थी के आवेदन नामान्तरण प्रस्तुत करने पर विविधत कार्यवाही की जाकर प्रत्यर्थी के ब्याय प्रार्थी का नामान्तरण उक्त भूमि पर रजि.क्र. 1/20-8-75 पर आदेश न्यायालय नयाब तहसीलदार मेहगांव दिनांक 7-8-76 द्वारा स्विकार किया गया उक्त आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील आदि कार्यवाही कभी भी नहीं की गई अतः आदेश दिनांक 7/8/76

डा. एन शर्मा
11/2/94